Opinion

भारत के युवाओं को पंख देना

भारत की विकास गाथा हमेशा से उसकी श्रम शक्ति द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत 2014 में दुनिया की 10वीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था से बढकर आज चौथी सबसे बडी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसने वैश्विक परिदृश्य में अपने लिए एक उल्लेखनीय स्थान बनाया है, और इस यात्रा में इसके मानव संसाधन की शक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

इस सफलता की कहानी को बल इस तथ्य से मिलता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ रोज़गार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। RBI-KLEMS के अनुसार, जहाँ 2004-2014 के बीच केवल 2.9 करोड नौकरियाँ सुजित हुई, वहीं उसके बाद के दशक में 17 करोड से ज़्यादा नौंकरियाँ सुजित हुई। EPFO के आंकडों के अनुसार, औपचारिकीकरण में भी तेज़ी आई है।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज

हालाँकि, वास्तविक परिवर्तन सामाजिक सुरक्षा कवरेज में हुआ है। 2015 में, केवल 19% भारतीय कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते थे। 2025 तक, यह संख्या बढ़कर 64.3% हो गई है, यानी 94 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचकर, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर कवरेज के सबसे तेज़ विस्तार में से एक माना है।

आगे देखते हुए, यह स्पष्ट है कि देश का भविष्य न केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर से, बल्कि हमारे द्वारा सृजित नौकरियों की गुणवत्ता, हमारे द्वारा श्रमिको को दी जाने वाली सुरक्षा और हमारे युवाओं को प्रदान किए जाने वाले अवसरों से भी तय होगा। बढ़ते स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रेरित अनिश्चितताओं, आपूर्ति-श्रंखला में बदलावों और दुनिया भर में नौकरियों को आकार देने वाली अन्य कमज़ोरियों की वैश्विक पृष्ठभूमि में, भारत एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बिंदू पर खड़ा है।

भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश है जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़त देता है, जबकि पश्चिमी देशों में वृद्ध आबादी देखी जा रही है। वर्षों से, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश - इसकी युवा शक्ति - को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। फिर भी, इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया। 2047 तक विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ते हुए, हमारे सामने चुनौती स्पष्ट है: हमें 'संभावना' से 'समृद्धि' की ओर बढ़ना होगा।

इस पृष्ठभूमि में, रोज़गार अब केवल एक आर्थिक संकेतक नहीं रह गया है; यह सम्मान, समानता और राष्ट्रीय शक्ति का आधार है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को रोजगार योग्य बनाएँ, उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ें, उन्हें वित्तीय साक्षरता से लैस करें और यह सुनिश्चित करें कि वे एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल से सुरक्षित रहें। तभी हमारा जनसांख्यिकीय लाभ वास्तव में एक स्थायी राष्ट्रीय लाभांश में परिवर्तित हो सकता है।

एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम

इस चुनौती का समाधान करने और आकांक्षा व अवसर के बीच की खाई को पाटने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू की है। शुरूआत में केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तावित और प्रधानमंत्री द्वारा अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित, यह योजना पैमाने और डिज़ाइन, दोनों ही दृष्टि से अतीत से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ, यह भारत के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिससे दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सुजित होने की उम्मीद है।

इस योजना को इसकी संरचना ही विशिष्ट बनाती है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले पहले के कार्यक्रमों के विपरीत, यह योजना युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यम प्रतिस्पर्धात्मकता की दोहरी चुनौती का एक साथ समाधान करती है। भाग A के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (दों किश्तों में ₹15,000 तक) और भाग B के अंतर्गत नियोक्ताओं (प्रति माह प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए ₹3,000 तक) दोनों को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, यह योजना कर्मचारियों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करती है और साथ ही व्यवसायों के लिए नियुक्ति जोखिम को भी कम करती है।

योजना का औपचारिकीकरण और सामाजिक स्रक्षा एकीकरण की दिशा में स्पष्ट प्रयास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान किए जाएँगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नए श्रमिकों को पहले दिन से ही सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार, यह योजना एक औपचारिक, सुरक्षित और उत्पादक श्रम बाजार की ओर एक संरचनात्मक धक्का है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन पर अतिरिक्त ध्यान भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और प्रेरक शक्ति है।

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना, योजना-आधारित हस्तक्षेपों से एक व्यापक रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बदलाव का संकेत देती है। यह उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और मेक इन इंडिया जैसी पूर्व पहलों से प्राप्त सीखों पर आधारित है और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यवस्था में कार्य की बदलती प्रकृति को मान्यता देती है।

श्रमिकों और नियोक्ताओं का समर्थन करके, यह योजना यह मानती है कि रोजगार सृजन एक साझा जिम्मेदारी है। चूँकि भारत डिजिटल नवाचार को अपनाते हुए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे। यहाँ तक कि सबसे छोटे उद्यम और कार्यबल में शॉमिल होने वाले नए व्यक्ति को भी राष्ट्रीय विकास की यात्रा में शामिल किया गया है।

यह योजना एक नीतिगत घोषणा से कहीं बढ़कर है। यह पहल जनसांख्यिकीय लाभांश को सार्वजनिक समृद्धि में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह विकसित भारत के विजन को साकार करने की नींव का हिस्सा है, जहाँ हर युवा को सार्थक रोजगार मिले, हर काम में सम्मान हो और हर युवा को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले। रोज़गार, अपने वास्तविक अर्थों में, राष्ट्र निर्माण है। इँस पहल के साथ, मोदी सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता की पुष्टिँ करती है कि कोई भी आकांक्षा अधूरी नहीं रहेगी और कोई भी युवा अवसर से वंचित नहीं रहेगा।

रायपुर की किताब से एक पत्ता लेना

अब समय आ गया है कि भारत के सभी प्रमुख शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली अपनाई जाए।

स्वतंत्रता दिवस पर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की कि कानून-व्यवस्था की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए रायपुर में जल्द ही पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की जाएगी। रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला शहर होगा जहाँ यह प्रणाली लागू होगी। लगभग 15 वर्ष पूर्व (2011 की जनगणना के अनुसार) रायपुर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई थी।

पुलिस कमिश्नरी प्रणाली अनिवार्य रूप से आदेश और नियंत्रण की एक श्रृंखला है। इसके दो मूल कार्य निर्णय लेना और उन्हें लागू करना हैं। इस प्रणाली में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ कुछ कार्यों के लिए एक निश्चित पद के पुलिस अधिकारियों में निहित होती हैं। इससे पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच साझा ज़िम्मेदारी वाले कुछ कर्तव्यों, विशेष रूप से अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े कार्यों के लिए अंतर समाप्त हो जाता है। पुलिसिंग के सभी पहलुओं की जि़म्मेदारी पुलिस आयुक्त के पास होती है, जो अपने बल के समुचित प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होते

कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ पुलिस अधिकारियों को दो तरीकों से सौंपी जा सकती हैं - पहला, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत राज्यों को दीँ गई शक्तियों के माध्यम से; और दुसरा, विधायी शक्तियों के माध्यम से। चूँकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-॥ (राज्य सूची) के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राज्यों के पास पुलिस और लोक व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने के पर्याप्त अधिकार हैं।

जुलाई 2024 में नए आपराधिक कानून लागू होने तक, सीआरपीसी के तहत अनिवार्य शर्त यह थी कि केवल 10 लाख र्से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्रों (2011 की जनगणना के अनुसार) में ही पुलिस आयुक्त हो सकता था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के लागू होने के बाद से यह कानून बदल गया है। बीएनएसएस ने यह अनिवार्य शर्ते हटा दी है कि किसी शहर या कस्बे को महानगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए, तभी किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ पुलिस आयुक्त को सौंपी जाएँगी। इसी प्रकार, इसमें कहा गया है कि एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ राज्य द्वारा "पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी" को सौंपी जा सकती हैं। बीएनएसएस की धाराएँ 14 और 15 कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ पुलिस को सौंपने से संबंधित हैं।

पुलिस कमिश्ररी प्रणाली ब्रिटिश काल से चली आ रही है। 1856 के अधिनियम संख्या XIII के माध्यम से कलकत्ता, मद्रास और बंबई शहरों को संबंधित पुलिस आयुक्तों के अधीन लाया गया था। यह एक व्यापक अधिनियम था जिसमें न केवल निवारक, दंडात्मक और प्रक्रियात्मक प्रावधान निर्धारित किए गए थे, बल्कि पुलिस की शक्तियों का भी उल्लेख था। 1 नवंबर, 1856 को सैम्अल वाउचहोप को कलकत्ता शहर और विलियम क्रॉफर्ड को बंबई शहर का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था।

धीरे-धीरे, इन शहरों के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए। निज़ाम काल के दौरान हैदराबाद ने हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम, 1348-F (1348 फसली = 1938) लागू किया। 21वीं सदी में, ऐसी शक्तियाँ अन्य राज्यों पर भी लागू की गईं, और पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई।

इनमें से अधिकांश राज्यों (उड़ीसा और पंजाब को छोड़कर, जिन्होंने अपने स्वयं के राज्य कानून बनाए) ने पुलिस आयुक्तालय प्रणाली को लागू करने के लिए सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया। चूँकि पुलिस को शक्तियाँ हस्तांतरित करने का मजिस्ट्रेट द्वारा आम तौर पर विरोध किया जाता है, इसलिए सभी पुलिस आयुक्तालय समान रूप से सशक्त नहीं हैं। जहाँ कुछ केंद्रीय अधिनियमों, जैसे शस्त्र अधिनियम, 1959; अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956; और विस्फोटक अधिनियम, 1884, ने पुलिस आयुक्त को शक्तियाँ प्रदान की हैं, वहीं अन्य अधिनियमों, जैसे गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967; सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867; स्थानीय अधिनियम; और बीएनएसएस (सीआरपीसी की तरह) को इस संबंध में विशिष्ट अधिसूचना की आवश्यकता है।

तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के साथ, हाल के वर्षों में अपराध के पैटर्न में बदलाव आया है। कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधिकारियों के बीच परामर्श अक्सर आपातकालीन स्थितियों में देरी का कारण बनता है, जिससे जनता की आलोचना होती है। सोली सोराबजी समिति द्वारा तैयार मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 का मसौदा, देश भर के पुलिस बलों के लिए एक समान कानून लाने के उद्देश्य से बनाया गया था; इसे किसी भी राज्य द्वारा पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है। पुलिस आयुक्तालय प्रणाली अधिक प्रभावी पुलिसिंग प्रदान करती है और समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अब समय आ गया है कि सभी प्रमुख शहर इस प्रणाली को अपनाएँ। **आर.के. विज एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं**

बिहार की हटाई गई मतदाता सूचियों में असामान्य पैटर्न: एक डेटा जांच

कई क्षेत्रों में लिंग जैसी श्रेणियों में और मृत्यु जैसे कारणों से असामान्य विलोपन दिखाई देते हैं

DATA POINT

बिहार में 65 लाख से ज़्यादा हटाए गए मतदाताओं की भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार जारी की गई सूची के व्यापक विश्लेषण से कई विसंगतियाँ सामने आई हैं। ये पैटर्न संभावित रूप से समस्याग्रस्त मुद्दों की ओर इशारा करते हैं जिनकी गहन जाँच की आवश्यकता है। हटाए गए मतदाता ऑकड़ों के हमारे विश्लेषण से विसंगतियों की आठ अलग-अलग श्रेणियाँ सामने आई हैं।

ECI ने विभिन्न भागों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए हटाए गए मतदाताओं की जानकारी उपलब्ध कराई है। ये भाग विशिष्ट मतदान केंद्रों से संबंधित हैं। नीचे दी गई सूचियों में, मतदान केंद्रों के नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और ज़िले का नाम इसी क्रम में दिया गया है।

मुख्य निष्कर्ष:

1. 80 विधानसभा क्षेत्रों में युवा मृत्यु दर असामान्य रूप से उच्च है 2. 127 विधानसभा क्षेत्रों में नाम हटाने में

उच्च लैंगिक पूर्वाग्रह है 3. 1,985 विधानसभा क्षेत्रों में नाम हटाने की दर असामान्य रूप से उच्च है

4. 412 विधानसभा क्षेत्रों में अत्यधिक मृत्यु दर दर्ज की गई है 5. 7,216 विधानसभा क्षेत्रों में मृत्यु दर का

उच्च अनुपात है 6. 973 विधानसभा क्षेत्रों में 100% मृत्यु-आधारित नाम हटाए गए हैं

7. 5,084 विधानसभा क्षेत्रों में "अनुपस्थित" मतदाताओं की संख्या अधिक है 8. 663 विधानसभा क्षेत्रों में "स्थायी रूप से स्थानांतरित" महिलाओं के संदिग्ध पैटर्न

दिखाई

पैंटर्न: विधानसभा क्षेत्र जहाँ 50 से अधिक लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, जिनमें से कम से कम आधे 50 वर्ष से कम आयु के हैं। आँकड़ों से बिहार भर में 80 विधानसभा क्षेत्रों/मतदान केंद्रों का पता चलता है जहाँ मृत्यु दर जनसांख्यिकीय मानदंडों का उल्लंघन करती है। सामान्य आबादी में, मृत्यु दर वृद्ध आयु समूहों की ओर अत्यधिक झुकी हुई है, जिससे युवा मृत्यु दर का उच्च अनुपात सांख्यिकीय रूप से असामान्य हो

पाँच चयनित असेम्बली भाग:

उर्दू मध्य विद्यालय चकदरिया, कहलगांव, भागलपुर: कुल मृत्यु 58, 50 वर्ष से कम आयु के 50

संत टेरेसा कन्या मध्य विद्यालय, बगहा, पश्चिम चंपारण: कुल 70 मौतें, 59 50 वर्ष से कम आयु के

मदरसा बिशनपुर, बैसी, पूर्णिया: कुल 61 मौतें, 48 50 वर्ष से कम आयु के (78.7%) उच्च विद्यालय हरारी, राजनगर, मधुबनी: कुल 58 मौतें, 50 वर्ष से कम उम्र के 45 (77.6%) प्राथमिक विद्यालय कानूनिया, रक्सौल, पूर्वी चंपारण: कुल 59 मौतें, 50 वर्ष से कम आयु के 45

चंपारण जैसे सीमावर्ती जिलों और अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी विसंगतियों का जमावड़ा है

उच्च लिंग पूर्वाग्रह विलोपन

पैटर्न: ऐसे असेंबली भाग/स्टेशन जहाँ कम से कम 50 महिलाओं के नाम हटाए गए, और कुल विलोपन में 80% या उससे अधिक महिलाएँ थीं। एक चिंताजनक विसंगति, जहाँ 127 भागों में उच्च लैंगिक पूर्वाग्रह दिखाई दिया।

पाँच चयनित भागः

उत्क्रमित मध्य विद्यालय रमणिया पोखर, किशनगंज, किशनगंज: 105 कुल विलोपन, 97 महिलाएं

उच्च विद्यालय डिभियां, करगहर, रोहतास: 85 कुल विलोपन, 78 महिलाएं (91.8%) उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसही, राजपुर, बक्सर: 57 कुल विलोपन, 52 महिलाएं (91.2%) बबन माधव मिडिल स्कूल, छपरा, सारण: 64 कुल विलोपन, 58 महिलाएं (90.6%) उर्दू मध्य विद्यालय कुदारी, भभुआ, कैमूर: 64 कुल विलोपन, 57 महिलाएं (89.1%) यह पैटर्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण अल्पेसंख्यक आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं के संभावित मताधिकार से वंचित होने का सुझाव देता है।

असामान्य रूप से उच्च विलोपन दर

पैटर्न: 200 से अधिक विलोपन वाले भाग/मतदान केंद्र, सामान्य दरों से कहीं अधिक। 1,985 भागों में यह विसंगति दिखाई दे रही है, जो मतदाताओं के विलोपन के एक बड़े पैमाने को दर्शाता है।

तीन चयनित भागः

नवसृजित प्राथमिक विद्यालय निरंजना, गोपालगंज, गोपालगंज: कुल ६४१ विलोपन (५९९ स्थानांतरित, ३९ मृत्यु, ३ अनुपस्थित)

आंगनबाड़ी केंद्र जंगी रे के टौला, गोपालगंज, गोपालगंज: कुल 627 विलोपन (सभी 627 स्थानांतरित) उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहुदरी, शाहपुर, भोजपुर: कुल ६०५ विलोपन (५३९ स्थानांतरित, ४६ मृत्यु)

गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र में यह सघनता विशेष रूप से चौंकाने वाली है।

पैटर्न: प्रति भाग 100 से अधिक मृत्यु रिपोर्ट। लगभग 412 भागों/मतदान केंद्रों ने इतनी अधिक संख्या में मृत्यु रिपोर्ट की।

आदर्श मध्य विद्यालय बुधिया, बनमनखी, पूर्णिया: 181 मौतें (97 पुरुष, 84 महिला, औसत आयु

राजकीय पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, भागलपुर, भागलपुर: 165 मौतें (82 पुरुष, 83 महिला, औसत आयु 48.5)

उत्कृष्ट मध्य विद्यालय पोखर भिंडा, मांझी, सारण: 162 मौतें (78 पुरुष, 84 महिला, औसत आयु 68.4)

पैटर्न: 75% से अधिक नाम हटाए जाने का कारण मृत्यु है। 7,216 भाग/मतदान केंद्र इस पैटर्न को दर्शाते हैं, जहाँ मृत्यु के कारण नाम हटाए जाने की सँख्या सामान्य जनसांख्यिकीय पैटर्न से कहीं अधिक है।

तीन चयनित भाग:

राजकिया पॉलिटेक्निक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, भागलपुर: 166 विलोपन में से 165 मौतें (99.4%) उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखर भिंडा, मांझी, सारण: 191 विलोपन में से 162 मौतें (84.8%) उत्क्रमित मध्य विद्यालय धोबिनिया, किशनगंज: 171 विलोपन में से 158 मौतें (92.4%) सदस्य, थेजेश जीएन की मदद से संकलित किया गया था

To Read UPSC Edition on daily basis with MCQ's so please message at 8168305050

पैटर्न: सभी नाम केवल मृत्यु के कारण हटाए गए, कोई अन्य कारण नहीं। लगभग 973 मतदान केंद्रों/भागों में यह सांख्यिकीय रूप से असंभव परिदृश्य देखा गया है जहाँ प्रत्येक नाम मृत्यु के कारण हटाया गया है।

बालक प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर, बरहरा, भोजपुर: सभी 126 नाम मृत्यु के कारण हटाए गए (औसत आयु 66.0 वर्ष)

उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवकाटोला, भोरे, गोपालगंज: सभी १२४ नाम मृत्यु के कारण हटाए गए (औसत आयु ५६.९

उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलहारा, हाजीपुर, वैशाली: सभी 118 नाम मृत्यु के कारण हटाए गए (औसत आयु 66.8

सामूहिक "अनुपस्थित" वर्गीकरण

पैटर्नें: प्रत्येक भाग/केंद्र पर 50 से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित के रूप में चिह्नित किया गया। 5,084 केंद्रों में यह पैटर्न दिखाई देता है।

तीन चयनित भागः

कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, गोपालगंज: ४५७ अनुपस्थित चिह्नित (२१५ पुरुष, २४२ महिला, औसत आयु

मध्य विद्यालय प्राणपट्टी, कस्बा, पूर्णिया: 351 अनुपस्थित चिह्नित (208 पुरुष, 143 महिला, औसत आयु 26.3) सामुदायिक भवन चौहॅट्टा, हाजीपुरं, वैशाली: 339 अनुपस्थित चिह्नित (177 पुरुष, 162 महिला, औसत आयु 41.9) संदिग्ध महिला "स्थानांतरित"

पैटर्न: कम से कम 60 मतदाताओं को स्थानांतरित के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनमें से 75%+ महिलाएँ हैं। लगभग 663 भाग/स्टेशनों में यह पैटर्न दिखाई देता है जहाँ महिलाओं को असमान रूप से "स्थानांतरित" निवास के रूप में चिह्नित किया गया है।

तीन चयनित क्षेत्र:

पंचायत भवन सिकटिया, कुचायकोट, गोपालगंज, गोपालगंज: 80 स्थानांतरित मतदाता, सभी 80 महिलाएँ

(100%, औसत आयु 29.9) उत्कृष्ट मध्य विद्यालयं चतुर बगहा, गोपालगंज, गोपालगंज: ६३ स्थानांतरित मतदाता, सभी ६३ महिलाएँ (१००%, औसत आयु 30.0) रामरतन शाही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोपालगंज, गोपालगंज: 71 स्थानांतरित मतदाता, 70 महिलाएँ

(98.6%, औसत आयु 30.5)

भौगोलिक और जनसांख्यिकीय प्रतिरूप

सीमावर्ती जिले: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण जिलों में विसंगतियों की उच्च

गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र: कई विसंगति श्रेणियों में उच्च सांद्रता, संभावित अनियमितताओं का संकेत देती है। अल्पसंख्यक-केंद्रित क्षेत्र: कई प्रभावित क्षेत्र महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में प्रतीत होते हैं। युवा महिलाएँ: कई श्रेणियाँ युवा महिला मतदाताओं (18-29 वर्ष) पर असमानुपातिक प्रभाव दिखाती हैं।

कई पैटर्न सांख्यिकीय संभावना को चुनौती देते हैं:

मृत्यु के कारण 100% नाम हटाए जाने वाले बूथ जनसांख्यिकीय रूप से समस्याग्रस्त हैं। 90% से अधिक नाम हटाए जाने वाले लिंग अनुपात प्राकृतिक जनसंख्या पैटर्न के विपरीत हैं। 75% से अधिक युवा मृत्यु दर मृत्यु दर के आंकड़ों के विपरीत है।

विशिष्ट बूथों में बड़े पैमाने पर "अनुपस्थित" वर्गीकरण की पुनः जाँच की आवश्यकता है।

कुछ प्रश्न उठाए जाने आवश्यक हैं:

मतदाताओं को मृत के रूप में चिह्नित करने से पहले क्या सत्यापन किया गया था? कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में विसंगतियों की अधिकता क्यों दिखाई देती है? महिलाओं को अधिक क्यों बाहर रखा गया है? और कई हिस्सों में 'मृत' श्रेणी के तहत युवा मतदाताओं का इतना बड़ा हिस्सा क्यों बाहर रखा गया है?

चुनाव आयोग को मतदान केंद्रों की जाँच करनी चाहिए और हटाए गए मतदाताओं का सत्यापन करना चाहिए और यदि उन्हें गलती से बाहर रखा गया है तो बहिष्कृत मतदाताओं को बहाल करने का कोई तरीका स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने के लिए, दावों और आपत्तियों की समय सीमा को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

ये प्रश्न नागरिक समाज कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के सहयोग से तैयार किए गए थे। डेटा को डेटामीट समुदाय के